"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2014—आश्विन 25, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ज्योति शाह, पति श्री मुनीश कुमार शाह, आयु 40 वर्ष, निवासी महेश कालोनी, श्री नगर रोड, गुढ़ियारी रायपुर तह. व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पुत्र आदित्य शाह के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा दसवीं की अंक सूची में माता का नाम ज्योति देवी शाह लिखा गया है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम ज्योति शाह रख ली हूं तथा इस आशये के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती ज्योति शाह पति श्री मुनीश कुमार शाह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

ज्योति देवी शाह
(Jyoti Devi Shah)
पति-श्री मुनीश कुमार शाह
निवासी-महेश कालोनी, श्रीनगर रोड,
गुढ़ियारी रायपुर (छ.ग.)

नया नाम

ज्योति शाह
(Jyoti Shah)
पति-श्री मुनीश कुमार शाह
निवासी-महेश कालोनी, श्रीनगर रोड,
गुढ़ियारी रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरविन्द कुमार जगदेव पिता श्री नान्हेंराम जगदेव, उम्र 39 वर्ष निवासी-मेन रोड, बाजार चौक, हसौद तह. जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अरवेन्द्र कुमार जांगड़े दर्ज है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अरविन्द कुमार जगदेव रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अरविन्द कुमार जगदेव पिता श्री नान्हेंराम जगदेव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अरवेन्द्र कुमार जांगड़े पिता-श्री नान्हेंराम जांगड़े निवासी-ग्राम/पो. हसौद, तहसील जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)	अरविन्द कुमार जगदेव पिता-श्री नान्हेंराम जगदेव निवासी-ग्राम/पो. हसौद, तहसील जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सोहद्रा खुटेल (SMT. SOHADRA KHUTEL) पति श्री राजन कुमार खुटेल, उम्र 44 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 4 ए, सड़क नं. 11, सेक्टर 8, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी सोहद्रा बाई था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सोहद्रा खुटेल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सोहद्रा खुटेल पति श्री राजन कुमार खुटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सोहद्रा बाई (Sohadra Bai) पति-श्री राजन कुमार खुटेल निवासी-क्वा. नं. 4 ए, सड़क नं. 11, सेक्टर 8, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सोहद्रा खुटेल (Sohadra Khutel) पति-श्री राजन कुमार खुटेल निवासी-क्वा. नं. 4 ए, सड़क नं. 11, सेक्टर 8, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बी रूद्रयैया (B. Rudraiyya) पिता श्री बी. नारायणा, उम्र 53 वर्ष, निवासी- क्वा. नं. 25/एफ, सड़क नं. 54, सेक्टर 11, जोन-2, खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड तथा अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रूद्रयैया (Rudraiah) पिता Narayan दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम बी. रूद्रयैया (B. Rudraiyya) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे बी. रूद्रयैया पिता श्री बी. नारायणा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
रूद्रयैया (Rudraiah) पिता-नारायण (Narayan) निवासी-क्वां. नं. 25/एफ, सड़क नं. 54, सेक्टर 11, जोन-2, खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	बी. रूद्रयैया (B. Rudraiyya) पिता-बी. नारायणा (B. Narayana) निवासी-क्वां. नं. 25/एफ, सड़क नं. 54, सेक्टर 11, जोन-2, खुर्सीपार भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जयदीप कुमार शर्मा पिता स्व. ताराचंद शर्मा, उम्र 44 वर्ष, निवासी-मकान नं. 12/के./ परिजात, ट्वीन सिटी, तालपुरी, रूआबांधा भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के विभागीय दस्तावेजों में मेरा नाम जयदीप कुमार दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम शर्मा जोड़कर नया नाम जयदीप कुमार शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे जयदीप कुमार शर्मा पिता स्व. ताराचंद शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम		**नया नाम**
जयदीप कुमार (Jaydeep Kumar) पिता-स्व. ताराचंद शर्मा निवासी-12/के. परिजात, ट्वीन सिटी, तालपुरी, रूआबांधा भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	–	जयदीप कुमार शर्मा (Jaydeep Kumar Sharma) पिता-स्व. ताराचंद शर्मा निवासी-12/के. परिजात, ट्वीन सिटी, तालपुरी, रूआबांधा भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक लोक न्यास रायपुर, जिला रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2014

प्र. क्र. 22 /ब-113 (1/वर्ष 2012-13)

क्रमांक 229/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2014.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक तुलाराम चतुर्वेदानी पिता केशवराम चतुर्वेदानी निवासी ग्राम व पोस्ट थाना मंदिर हसौद तहसील आरंग जिला रायपुर ने "गुरू घासीदास मंदिर ट्रस्ट" ग्राम बाराडेरा तुलसी पोस्ट मंदिर हसौद विकासखण्ड धरसींवा जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	ट्रस्ट का नाम व पता	:	"गुरू घासीदास मंदिर ट्रस्ट" ग्राम बाराडेरा तुलसी पोस्ट मंदिर हसौद विकासखण्ड धरसींवा जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रुपये नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करे और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से 20-10-2014 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह इश्तहार आज दिनांक 24-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्रमांक/परिसमापक/स.नि./2014/868.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	समिति का नाम	पं. क्र.	परिसमापन आदेश क्रमांक दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	पंडित नेहरू कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. कसडोल	160	214/05-03-2014	एम. ए. एस. अगवान
2.	शहीद वीरनारायण सिंह बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या. सोनाखान	2167	213/05-03-2014	--,,--

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावेमय प्रमाण पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अंदर मुझे अथवा कार्यालय के आवक-जावक कक्ष कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलौदाबाजार-भाटापारा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वत: विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 15-09-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

एम. ए. एस. अगवान,
परिसमापक/स. नि.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.